राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 371/2023

निर्णय दिनांक : 31.1.25

रामेश्वर बनाम अशोक वगै0

1. रामेश्वर पुत्र श्री रामकरण, उम्र 92 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम दोरासर, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

वादी

बनाम

1. अशोक पुत्र भगवानाराम
2. केशरी पत्नी भगवानाराम
3. जगदीश प्रसाद पुत्र रामकरण
4. प्यारेलाल पुत्र भगवानाराम
5. मदनलाल पुत्र रामकरण
6. मनोहर पुत्र भगवानाराम
7. श्रीचन्द पुत्र रामकरण
8. सम्पत पुत्री रामकरण
9. सावित्री पत्नी रामकरण

समस्त जाति खाती, निवासीगण ग्राम दोरासर, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

10. परमेश्वरलाल पुत्र मदन
11. पुष्पा पत्नी मदन
12. बिमला पुत्री मदन
13. मुरारीलाल पुत्र मदन
14. राधेश्याम शर्मा पुत्र मदन
15. सुभाष पुत्र मदन

समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासीगण दोरासर तहसील व जिला झुंझुनूं

16. कमला पुत्री महावीर
17. मुकेश पुत्र महावीर
18. मदन पुत्र जस्सुराम
19. विद्या देवी पत्नी महावीर
20. सजना पुत्री महावीर
21. संजय पुत्र महावीर
22. सुमन पुत्री महावीर
23. सरोज पुत्री महावीर

समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासीगण ग्राम दोरासर तहसील जिला झुंझुनूं

24. रामावतार पुत्र हरदेवाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम दोरासर तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
25. यूको बैंक शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज) जरिये शाखा प्रबन्धक
26. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ागांव जिला झुन्झुनूं (राज) जरिये शाखा प्रबन्धक
27. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पातुसरी, जिला झुन्झुनू (राज)
28. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) जरिये शाखा प्रबन्धक
29. राजस्थान सरकार भूमिधारी, जरिये तहसीलदार झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत घोषणार्थ
रिकॉर्ड दुरुस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न आशय का पेश किया गया कि राजस्व ग्राम दोरासर, तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित जमीन हाल खसरा नं. 1012, 1022, 1023 कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हैक्टर का वादी वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार है। राजस्व ग्राम दोरासर, तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित जमीन हाल खसरा नं. 1009, 1010, 1011, 987, 988 कुल किता 5 कुल रकबा 1.94 हैक्टर भूमि के वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 तथा भूमि खसरा नं. 1000, 1001, 1001/1290, 1001/1291, 1002, 1003, 1004 कुल किता 7 कुल रकबा 3.09 हैक्टर भूमि के वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार प्रतिवादी सं. 10 लगायत 15 तथा भूमि खसरा नं. 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 788, 976 कुल किता 7 कुल रकबा 1.71 हैक्टर भूमि के वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार प्रतिवादी सं. 16 लगायत 23 एंव मृतक माला पुत्र जस्सु तथा भूमि खसरा नं. 1020 कुल किता 1 कुल रकबा 1.02 हैक्टर भूमि का वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार प्रतिवादी सं. 24 है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 23 व मृतक माला पुत्र जस्सु के मध्य वाद पत्र की धारा 1 व 2 में वर्णित भूमि का आपसी सहमति से राजस्व कैम्प ग्राम पंचायत कुलोद कलां, जिला झुन्झुनू में वर्ष 2013 में विभाजन किया किया गया था।

वाद पत्र की धारा 4 में वर्णित अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 23 व मृतक माला पुत्र जस्सु के मध्य विभाजन हेतु आपसी सहमति से सहमति पत्र तैयार किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट भी दिनांक 08.04.2013 को तैयार की गई थी। उक्त सहमति पत्र व मौका रिपोर्ट के अनुसार विभाजन किया जाना प्रस्तावित था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूल व गलती से उक्त विभाजन प्रस्ताव व मौका रिपोर्ट के अनुसार विभाजन नही किया जाकर गलत रूप से रिकॉर्ड तैयार किया गया जो काबिले दुरूस्ती है। उक्त विभाजन होने के पश्चात वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 23 व मृतक माला पुत्र जस्सु पूर्व में मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही भूमि को काश्त करते रहे। उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड की ओर किसी ने भी ध्यान नही दिया। वाद पत्र की धारा 4 में वर्णित अनुसार सहमति से विभाजन किया गया था। इस कारण वादी ने भी राजस्व रिकॉर्ड की ओर कभी ध्यान नही दिया। वादी 92 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जो कानून की ज्यादा जानकारी नही रखता है। वर्तमान में वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की तो राजस्व कर्मचारियों की भूल एंव गलती से दर्ज गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी हुई। जब वादी को उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी हुई तो वादी ने प्रतिवादी सं. 1 लगायत 23 को वाद पत्र की धारा 4 में वर्णित अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने हेतु दिनांक 23.09.2023 को कहा जिस पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 23 स्पष्ट इन्कार हो गये। जिससे वाद कारण पैदा हुआ। वाद पत्र की धारा 2 में दर्ज वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड भूमि खसरा नं. 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 788, 976 कुल किता 7 कुल रकबा 1.71 हैक्टर भूमि में दर्ज खातेदार माला पुत्र जस्सुराम का देहान्त हो चुका है। माला नाऔलाद फोत हुआ है। प्रतिवादी सं. 16 लगायत 23 विधिक वारिस है। मृतक माला का देहान्त होने से उसे वाद पत्र में पक्षकार संयोजित नही किया गया है।

उपर्युक्तानुसार दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने साक्ष्य के रूप में अपना चीफ का शपथ पत्र पेश किया। बहस वकील वादी सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली वाद वादी सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दोरासर पटवार हल्का कुलोद कलावादी में वादी को वाद पत्र की धारा 4 में वर्णित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार भूमि खसरा नं. 788, 1002, 1003, 1017 कुल किता 4 कुल रकबा 0.76 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा मृतक माला पुत्र जस्सुराम के 1/3 हक हिस्से की भूमि को उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

31/1/25

(हवाई सिंह यादव)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 371 / 2023

निर्णय दिनांक :31/1/25

रामेश्वर बनाम अशोक वगै0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रोहिताश कुमार कुल्हरी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 31/1/25 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दोरासर पटवार हल्का कुलोद कलावादी में वादी को वाद पत्र की धारा 4 में वर्णित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार भूमि खसरा नं. 788, 1002, 1003, 1017 कुल किता 4 कुल रकबा 0.76 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा मृतक माला पुत्र जस्सुराम के 1/3 हक हिस्से की भूमि को उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/1/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुंन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	3 1	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	4	योग	

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुंन्झुनू